संचिका सं0–10 / विविध–16–20 / 2018......492......(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः– **वित्त विभाग ।**

पटना, दिनांक– 18 / 07 / 2019

विषयः– **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिला सत्र न्यायालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक–एक औषधालय स्थापित करते हुए प्रति औषधालय में विभिन्न कोटि के 5 (पाँच) पद अर्थात् कुल 38x5=190 पदों के सृजन की स्वीकृति।**

आदेशः **स्वीकृत ।**

राज्य की जनता को सभी स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सत्त प्रत्यनशील एवं कृत संकल्पित है। इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–08.02.2018 को पारित न्यायादेश जिसमें निदेशित किया गया है कि राज्य के सभी जिला सत्र न्यायालयों में एक–एक औषधालय (Dispensary) की स्थापना, आवश्यक उपकरण एवं मानव बल के साथ किया जाय।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया गया है। कमिटी द्वारा दिनांक–06.11.2018 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी जिला सत्र न्यायालय परिसरों में समुचित मेडिकल स्टॉफ एवं उपस्कर के साथ औषधालय की स्थापना की जाय। संदर्भित औषधालय से न्यायालीय परिसर के साथ संलग्न सभी राज्य सरकार के कार्यालयों एवं नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जायेगी।

3. न्यायालय परिसर में स्थापित होने वाले औषधालय को क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न कोटि के आवश्यक पदों की विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	पदनाम	38 औषधालयों में सृजित होने वाले पदों की संख्या	वेतन स्तर
1	2	3	4
1	चिकित्सा पदाधिकारी	38x1=38	Level-9
2	जी०एन०एम० (स्टाफ नर्स)	38x1=38	Level-7
3	फर्मासिस्ट	38x1=38	Level-5
4	प्रयोगशाला प्रवैद्यिकी	38x1=38	Level-5
5	निम्नवर्गीय लिपिक	38x1=38	Level-2
	कुल–	190	

D:\DEP-10\Amrendra Kr\Rajayadesh & Awanatanadesh doc\(2019-20)\Rajkiye Ausdhalaya, Civil Court.doc

4. इन पदों के सृजन से कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रुपये 9,63,39,576/– (नौ करोड़ तिरसठ लाख उनचालिस हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये) संभावित है। समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य भत्ता अनुमान्य होगा।

5. भारित राशि का वहन मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल, विपत्र कोड–20–2210011100013 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायगी।

7. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के सिविल सर्जन होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें।

8. इन पदों के सृजन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

9. संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 492 (10) /स्वा0, पटना, दिनांक– 18/07/2019

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–31.05.2019 में मद संख्या–06 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विशेष सचिव, विधि विभाग/ महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/ सभी जिला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 4 एवं 7, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।